**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या: 902**
**07 फरवरी,2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**आशा कार्यकर्ताओं का पारिश्रमिक**

**902. श्री जी. कुमार नायक:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आशा कार्यकर्ताओं की नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा लाभ और कार्य की दशा में सुधार के लिए उपाय किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) आशा कार्यकर्ताओं के पारिश्रमिक का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) कया सरकार ने प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन के साथ निश्चित पारिश्रमिक प्रदान करने की व्यवहार्यता का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य अंतराल को कम करने में आकांक्षी जिलों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए विशेष रूप से उनके जैसे खराब स्वास्थ्य संकेतकों वाले पिछड़े क्षेत्रों में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन और प्रोत्साहन को बढ़ाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क) से (घ): आशा कार्यकर्ताओं के लिए सहायता सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में बताई गई आवश्यकताओं और समग्र संसाधन सीमा के भीतर होती है।

देश में आशा कार्यकर्ताओं को नियमित एवं आवर्ती गतिविधियों के लिए 2000 रुपये प्रति माह की निश्चित प्रोत्साहन राशि मिलती है। इसके अतिरिक्त, उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत विविध गतिविधियों के लिए प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। सरकार ने सितंबर, 2022 में आशा कार्यकर्ताओं के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहनों को मंजूरी दी है। इन आशा प्रोत्साहनों का विवरण निम्नलिखित यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (URL) पर उपलब्ध है:

https://nhm.gov.in/New-Update-2023-24/ASHA/Orders_and_guidelines/ASHA-INCENTIVES.pdf

इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों के अतिरिक्त आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करते हैं और इसका विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर के शुभारंभ के बाद, आशा कार्यकर्ता निगरानी प्रदर्शन संकेतकों (प्रति माह 1000 तक) के आधार पर एएनएम के साथ-साथ टीम आधारित प्रोत्साहन (टीबीआई) के लिए अतिरिक्त रूप से पात्र हैं। आशा कार्यकर्ता गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन जैसे - आशा वर्दी, पहचान पत्र, साइकिल, मोबाइल, सीयूजी सिम, आशा डायरी, ड्रग किट, आशा विश्राम कक्ष आदि के लिए भी पात्र हैं। सरकार ने कम से कम 10 साल तक आशा कार्यकर्ता के रूप में काम करने के बाद कार्यक्रम छोड़ने वाली आशा कार्यकर्ताओं को उनके योगदान के आभार की स्वीकृति के रूप में ₹20,000/- का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देने की भी मंजूरी दी है।

वर्ष 2018 में आशा कार्यकर्ताओं के महत्वपूर्ण योगदान और प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए आशा लाभ पैकेज की शुरुआत की गई थी। पैकेज में निम्नलिखित के लिए कवरेज प्रदान किया गया है:

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत बीमाधारक की मृत्यु होने पर 2.00 लाख रुपये का लाभ दिया जाएगा (वार्षिक प्रीमियम भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा)।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत दुर्घटनावश मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 2.00 लाख रुपये का लाभ; आंशिक विकलांगता पर 1.00 लाख रुपये (भारत सरकार द्वारा वार्षिक प्रीमियम का योगदान)।

इसके अलावा, आशा कार्यकर्ताओं के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन लाभ के साथ प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन (पीएम-एसवाईएम) भी उपलब्ध है (प्रीमियम का 50% योगदान भारत सरकार द्वारा और 50% लाभार्थियों द्वारा)। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आशा कार्यकर्ताओं को निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार उपर्युक्त सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकित किया गया है।

इसके अलावा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज सभी आशा कार्यकर्ताओं तक विस्तारित किया गया है।

जैसा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बताया गया है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिका (एडब्ल्यूएच) मानद कर्मचारी हैं और उन्हें समय-समय पर सरकार द्वारा तय मासिक मानदेय का भुगतान किया जाता है। 1 अक्टूबर, 2018 से, मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में एडब्ल्यूडब्ल्यू का मानदेय 4,500/- रुपये प्रति माह है; मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों में एडब्ल्यूडब्ल्यू 3,500/- रुपये प्रति माह है; आंगनवाड़ी सहायिका (एडब्ल्यूएच) 2,250/- रुपये प्रति माह है; और एडब्ल्यूएच को 250/- रुपये प्रति माह और एडब्ल्यूडब्ल्यू को 500 रुपये प्रति माह का कार्य निष्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन शुरू किया गया है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भी अपने स्वयं के संसाधनों से इन कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/मानदेय का भुगतान कर रहे हैं जो राज्य दर राज्य अलग-अलग हैं।

*****

अनुलग्नक - I

राज्य विशिष्ट आशा प्रोत्साहन

| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | राज्य निधि से आशा कार्यकर्ताओं को राज्य विशिष्ट निश्चित/टॉप अप प्रोत्साहन |
|---|---|---|
| 1 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | ग्रामीणों की बेहतरी के लिए प्रत्येक आशाकर्मी को 500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे हैं |
| 2 | आंध्र प्रदेश | आशा को प्रतिमाह 10,000 रुपये की कुल प्रोत्साहन राशि के बराबर शेष राशि प्रदान की जाती है |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | रु . 2000 प्रति माह (100% टॉप-अप, संवितरण की आवृत्ति त्रैमासिक) |
| 4 | बिहार | 1000 रु. प्रति माह/आशा और 1000 रुपये प्रति माह/आशा सुविधाकर्ता के लिए अतिरिक्त प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन |
| 5 | छत्तीसगढ़ | आशा द्वारा अर्जित प्रोत्साहन राशि का 75% अनुरूप अनुदान राज्य कोष से दिया जाएगा। |
| 6 | दिल्ली | मुख्य प्रोत्साहन राशि 3000 रुपये प्रति माह है, साथ ही कुछ राज्य विशिष्ट गतिविधि प्रोत्साहन भी हैं। |
| 7 | गुजरात | कुल भारत सरकार प्रोत्साहन पर 50% टॉप अप/प्रति माह और 2500/माह फिक्स प्रोत्साहन |
| 8 | हरियाणा | रु.4000/- प्रति माह/आशा और 50% टॉप-अप (नियमित आवर्ती प्रोत्साहन को छोड़कर) और रु .450/- अतिरिक्त, जो 05 प्रमुख आरसीएच गतिविधियों के प्रदर्शन के साथ जुड़ा हुआ है |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | रु . 4700/- (राज्य प्रोत्साहन में रु . 500/- की वृद्धि की गई है , अतः अप्रैल, 2023 से देय कुल प्रोत्साहन रु . 5200/- है) |
| 10 | झारखंड | 14 प्रमुख संकेतकों के प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन पर 1000/- का टॉप अप |
| 11 | कर्नाटक | राज्य सरकार आशा कार्यकर्ताओं को मासिक निश्चित मानदेय के रूप में 5000 रुपये प्रति माह प्रदान कर रही है |
| 12 | केरल | राज्य सरकार निधि से 6000 रु. प्रतिमाह मानदेय। |
| 13 | महाराष्ट्र | रु . 3500/प्रति माह/प्रति आशा |

| | | |
|---|---|---|
| 14 | मणिपुर | प्रति आशा 1000/- रूपये / प्रतिमाह |
| 15 | मेघालय | राज्य निश्चित प्रोत्साहन - रु . 2000/- प्रतिमाह और राज्य कोविड प्रोत्साहन - रु. 1000/- प्रतिमाह |
| 16 | मध्य प्रदेश | राज्य निधि से रु. 4000/माह/आशा और 200/माह/आशा सुविधाकर्ता |
| 17 | ओडिशा | 1000/- प्रति माह सशर्त सुनिश्चित प्रोत्साहन के रूप में |
| 18 | पुदुचेरी | 3000 रुपये /आशा/माह की निश्चित राशि |
| 19 | पंजाब | रु. 2500 प्रति माह प्रति आशा/आशा सुविधाकर्ता |
| 20 | राजस्थान | राज्य सरकार निधि से रु. 1650/आशा/प्रतिमाह |
| 21 | सिक्किम | राज्य निधि से 6000 रुपये का मासिक निश्चित मानदेय वितरित किया जाता है, हाल ही में सिक्किम सरकार ने निश्चित मानदेय को 6000 रुपये से बढ़ाकर 10000 रुपये करने की घोषणा की है। |
| 22 | तमिलनाडु | एनसीडी प्रोत्साहन - 500 रुपये |
| 23 | तेलंगाना | रु . 6750/माह |
| 24 | त्रिपुरा | 8 विशिष्ट कार्यों पर 100% तथा एनएचएम कार्यों पर 33.33% राज्य निधि से टॉप अप किया जाएगा तथा प्रत्येक आशा और एएफएस के लिए 1000 रुपए निर्धारित किए गए हैं । |
| 25 | उत्तर प्रदेश | रु . 1500 प्रति माह (नियमित गतिविधि के लिए प्रोत्साहन से जुड़ा राज्य बजट प्रोत्साहन) |
| 26 | उत्तराखंड | रु . 3000/माह राज्य प्रोत्साहन |
| 27 | पश्चिम बंगाल | सभी कार्यरत ग्रामीण आशा कार्यकर्ताओं के लिए 4500 रुपये का मासिक निश्चित मानदेय |

******